

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 के सेक्शन 48 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है ताकि इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के समक्ष रखा जा सके।

इस प्रतिवेदन के अध्याय 1 तथा 2 में मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के क्रमशः वित्त लेखों तथा विनियोजन लेखों की जाँच के उपरान्त सामने आए मामलों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को सम्मिलित किया गया है।

‘वित्तीय रिपोर्टिंग’ पर अध्याय 3 विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार के विभिन्न वित्तीय नियमों, कार्यविधियों तथा निर्देशों के अनुपालन की स्थिति को दर्शाता है।

विभिन्न विभागों के लेन-देन की लेखापरीक्षा तथा निष्पादन लेखापरीक्षा की प्राप्तियों सहित प्रतिवेदन, सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा, बोर्डों, सरकारी कंपनियों एवं राजस्व क्षेत्र की अभ्युक्तियों के प्रतिवेदन को पृथक रूप से प्रस्तुत किया गया है।